न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
57 / 2024 / प्रा.पत्र / 2024	13.08.2024	08.04.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री मोहन लाल शर्मा पुत्र श्री रामकिशोर शर्मा निवासी ग्राम हरभगतपुरा पोस्ट चनानी तह. निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स पारस रिसोर्ट खसरा नं0 865 / 2 एनबीसी के सामने एन. एच–52, गुन्सी तहसील निवाई जिला टोंक राज.। मोबाईल नं. 9610195886।
2–मैसर्स पारस रिसोर्ट खसरा नं0 865 / 2 एनबीसी के सामने एन.एच–52, गुन्सी तहसील निवाई जिला टोंक राज0। पिनकोड–304021

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी श्री भागचन्द बैरवा उपस्थित।

:–निर्णय–: दिनांक 08/4/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.05.2024 को समय 02:30 पी.एम. पर मैसर्स पारस रिसोर्ट खसरा नं0 865 / 2 एनबीसी के सामने एनएच–52 गुन्सी तह. निवाई जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर विक्रेता की हैसियत से श्री मोहन लाल शर्मा पुत्र श्री रामकिशोर शर्मा अपने प्रतिष्ठान मैसर्स पारस रिसोर्ट खसरा नं0 865 / 2 एनबीसी के सामने एनएच–52 गुन्सी तहसील निवाई जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री मोहन लाल शर्मा पुत्र श्री रामकिशोर शर्मा को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री मोहन लाल शर्मा पुत्र श्री रामकिशोर शर्मा ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक / प्रोपरायटर होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु प्रतिष्ठान के फ्रीजर में एक भगोने में लगभग 10–12 किलोग्राम **पनीर** रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री मोहन लाल शर्मा पुत्र श्री रामकिशोर शर्मा को

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री मोहन लाल शर्मा पुत्र श्री रामकिशोर शर्मा एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह **पनीर** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, प्रतिष्ठान के किचन में डीप फ्रीजर में एक भगोने में रखे लगभग 10–12 किलोग्राम पनीरं में से स्टील की एक ट्रे में 1 किलोग्राम **पनीर** वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **पनीर** 1 किलोग्राम को प्लास्टिक की साफ एवं सुखी चार शिशियों में बराबर–बराबर भरकर नियमानुसार चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग 250–250 ग्राम, प्रत्येक भाग में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 20–20 बूंदे डालकर अच्छी तरह हिला–मिलाकर प्रत्येक शीशी को ढक्कन से अच्छी तरह एयरटाईट कर बन्द कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3997 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3997नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/664 दिनांक 11.06.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/1962/एक्ट/2024/2030 दिनांक 31.05.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **पनीर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। फर्म मैसर्स पारस रिसोर्ट खसरा नं0 865/2 एनबीसी के सामने एन.एच–52, गुन्सी तहसील निवाई जिला टोंक की ओर से फर्म मालिक श्री हेमराज खण्डेलवाल मय अभिभाषक श्री भागचन्द बैरवा उपस्थित हुए एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि अप्रार्थी मोहन लाल शर्मा पुत्र श्री रामकिशोर शर्मा मैसर्स पारस रिसोर्ट में पूर्व में मैनेजर था, अब वह उक्त फर्म से नोकरी छोड चुका है एवं अतः जो भी शास्ति लगायी जाती है उसको जमा कराने का उत्तरदायित्व लिया। अभिभाषक ने निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। यह

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **पनीर** का विक्रय कर रहे थे, वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों को पूरा नहीं करता है, उक्त **पनीर** जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **पनीर** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii)के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से निर्माता फर्म अप्रार्थी सं0 2 पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दरअनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/4/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सोकरिया)
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0